GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT

विधि एवं न्याय (क) विभाग

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान पुस्तकालय

134

सत्यमेव जयते

THE RAJASTHAN MICA ACT, 1958

राजस्थान अभ्रक अधिनियम, १९५८

(Act No. 25 of 1958)

(एक्ट संख्या २५, सन् १९५८)

(*Published by Authority*)

(साधिकार प्रकाशित)

UDAIPUR

PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS.

[Price: Rs. 0.40

(135)

THE RAJASTHAN MICA ACT, 1958

(Act No. 25 of 1958)

TABLE OF CONTENTS

Sections Page

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement 1
2. Interpretation 2
3. Exemptions 3

CHAPTER II

Restrictions on Possession, Purchase and Sale of Mica

4. Prohibition of possession of, and trading in mica, without license or prospecting license or mining lease ... 3
5. Grant of License 4
6. Exercise of powers of licensee etc. by agents 5

CHAPTER III

Duties of Licensees, Holders of Prospecting Licenses and Mining Lessees

7. Keeping of account and submission of returns... ... 5
8. Production of accounts by licensees, holders of prospecting licensees and mining lessees 6
9. Notifying places used for storing mica 7

CHAPTER IV

Import, Export and Transport of Mica

10. Restriction on import and export of mica 7
11. Transport of mica 7

CHAPTER V

Offences and Penalties

12. Penalties 8
13. Penalty for un-authorised import, export or romoval of mica 8
14. Forfeiture... 8

CHAPTER VI

Powers of Officers

15. Arrest without warrant 9
16. Seizure and detention of mica removed without pass ... 9
17. Powers of search and seizure 9
18. Compounding of offences 10

CHAPTER VII

Miscellaneous

19. Cancellation of license 10
20. Delegation of powers and duties of the Controller ... 11
21. Rules 11
22. Repeal 11

[*First published in the Rajasthan Rajpatra, Extraordinary, Part IVA, dated 6-6-1958*].

LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 4, 1958.

No. F. 4 (5)-LJ/A/58.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 19th day of May, 1958 and is published for general information:—

THE RAJASTHAN MICA ACT, 1958

(Act No. 25 of 1958)

[*Received the assent of the Governor on the 19th day of May, 1958*];

An

Act

to regulate the possession and transport of and trading in, Mica in the State of Rajasthan.

Whereas it is expedient, in the interest of the general public, to regulate the possession and transport of and trading in mica in the State of Rajasthan;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Ninth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

1. *Short title, extent and commencement*:—(1) This Act may be called the Rajasthan Mica Act, 1958.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

2. *Interpretation*:—In this Act, unless the context otherwise requires:—

(a) "block mica" means any mica, other than chillas, splittings and waste mica, obtained from crude mica by any process of trimming;

(b) "chillas" means thin laminations or cleanings of mica not more than .008 inch thick obtained from crude or block mica;

(c) "controller" means an officer appointed by the State Government to be a Mica Controller for the purpose of this Act;

(d) "crude mica" means mica in its rough state before it has been trimmed or subjected to any process;

(e) "dealer's licence" means a license granted under Section 5 authorising the person to whom it is granted to buy mica, and to have in his possession and sell mica—

(i) extracted in the State of Rajasthan from a mica mine of which he is not in possession or from a mica dump, or

(ii) imported into the State of Rajasthan from any place not situated in the State of Rajasthan;

(f) "home splitter" means a person who is employed by a splitting contractor or a licensee to split block mica or chillas;

(g) "licensee" means a person to whom a dealer's license has been granted;

(h) "manufactured mica" means mica in any form other than the form of crude mica, block mica, chillas or splittings;

(i) "mica" does not include crude mica;

(j) "mica dump" means any collection of refuse consisting wholly or largely of mica;

(k) "mica mine" means any excavation where any operation for the purpose of searching for or obtaining mica has been or is being carried on;

(l) "mining lease" means a mining lease, as defined by the Mineral Concession Rules, 1949, covering mica, granted by the State Government and "mining lessee" means a person holding a mining lease;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "prospecting license" means a prospecting license as defined by the Mineral Concession Rules, 1949, covering mica, granted by the State Government and "prospecting licensee" means a person holding a prospecting license;

(o) "splittings" means thin laminations of mica not more than .00125 inch thick; and

(p) "splitting contractor" means a person who receives block mica or chillas from a licensee for preparing splittings therefrom through home-splitters.

3. *Exemptions:*—Nothing in this Act shall apply to the possession of any splittings, chillas or block mica, if the largest rectangular area of sound mica which can be obtained therefrom is less than three square inches.

CHAPTER II

Restrictions on Possession, Purchase and Sale of Mica

4. *Prohibition of possession of, and trading in mica, without license or prospecting license or mining lease:*—(1) Save as provided in sub-section (2) and sub-section (3) of this section, no person shall—

(a) have in his possession or sell mica extracted from a mica mine of which he is in possession, whether it is situated in land of which he is the proprietor or otherwise, except mica extracted under a prospecting license or mining lease held by him;

(b) have in his possession or sell mica extracted from a mica dump of which he is in possession, except under a dealer's license or except mica extracted under a prospecting license or mining lease held by him;

(c) buy mica or have in his possession or sell mica extracted in the State of Rajasthan from a mica mine or mica dump of which he is not in possession, or mica imported into the State of Rajasthan from any place not situated in the State except under and in accordance with a dealer's license;

(d) buy or sell crude mica except at the mine from which the crude mica was extracted;

(e) being a licensee, prospecting licensee or mining lessee, sell mica to any person resident or carrying on business in the State of Rajasthan, unless such person possesses a valid dealer's license;

(f) being a licensee, buy mica from a person resident or carrying on business in the State of Rajasthan, unless such person is a licensee, a prospecting licensee or a mining lessee.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to:—

(a) the possession, sale or purchase of manufactured mica;

(b) the sale of mica by a licensee, a prospecting licensee or a mining lessee or the purchase of mica from a licensee, a prospecting licensee or a mining lessee by any person not resident or carrying on business in the State of Rajasthan; and

(c) the possession, sale or purchase of mica under such circumstances and subject to such conditions as may from time to time, by notification, be specified by the State Government.

(3) Any licensee whose license ceases to be in force under sub-section (4) of Section 5 or, as the case may be, is cancelled under this Act, shall be entitled, up to a date not later than six months after the date on which his licensed ceased to be in force or was cancelled, as the case may be, to sell or otherwise dispose of any mica which was in his possession on the date on which his license ceased to be in force or was cancelled.

5. *Grant of License*:—(1) The Controller shall, on the application of any person and on payment by such person of a fee of two hundred and fifty rupees, grant to such person a dealer's license:

Provided that the Controller may refuse to grant such a license to a person who is convicted of any offence in respect of mica under this Act or under Chapter XVII of Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860) or under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1948 (Central Act LIII of 1948) or rules made thereunder.

(2) Any person who has been refused a license by the Controller under the proviso to sub-section (1) may, within thirty days of the order of the Controller, appeal to the Board of Revenue or such other authority as may be prescribed.

(3) There shall be paid to the Controller in respect of every license granted under sub-section (1) an annual fee of one hundre

and fifty rupees. Such annual fee shall be paid on the second day of January next following the date on which the license is granted and on the second day of January in each succeeding year.

(4) If the fee payable under sub-section (3) in respect of any license is not paid within sixty days of the date on which it is required by that sub-section to be paid, such license shall cease to be in force.

(5) If at any time a license granted under sub-section (1) is lost by the licensee or is destroyed, the licensee shall forthwith report the fact in writing to the Controller and shall explain the circumstances in which the license has been lost or destroyed. Upon the receipt of such intimation the Controller shall make such inquiry as he may think fit, and if he is satisfied that the license has been lost or destroyed, he may issue a duplicate license on payment of a fee of five rupees by the licensee. Such a license shall be stamped with the word "duplicate".

6. *Exercise of powers of licensee etc. by agents*:—The Controller shall, on the application of a licensee, a prospecting licensee or a mining lessee, endorse on his license or otherwise certify the name of persons who shall be entitled to exercise on behalf of such licensee, prospecting licensee or mining lessee any of the powers conferred on him under this Act or under his license, and no person whose name is not so endorsed or certified shall be entitled to exercise any of the said powers on behalf of any licensee, prospecting licensee or mining lessee.

CHAPTER III

Duties of Licensees, Holders of Prospecting Licenses and Mining Lessees

7. *Keeping of account and submission of returns*—(1) Every licensee, prospecting licensee and mining lessee shall submit such returns and in such form and manner as may be prescribed and shall keep accounts showing—

(a) in respect of crude mica, the following particulars namely—

(i) the quantity received, the date of receipt and the source of supply;

(ii) the quantity issued to cutters or disposed of and the date of such issue or disposal, and the name of the person, if any, to whom it is disposed of;

(iii) the quantity of block mica received from cutters and the date of receipt;

142

(iv) the quantity of chillas received from cutters and the date of receipt; and

(v) the quantity of the balance remaining in stock at intervals not exceeding seven days;

(b) in respect of mica other than crude or manufactured mica, the following particulars, namely—

(i) all additions to the stock, specifying the quantity and the size or, in the case of mica which has not been sorted into sizes, the description and the quantity, of the mica received and, in the case of purchase, the name of the person from whom it is purchased;

(ii) all issues from the stock, specifying—

(a) the quantity and the size or, in the case of mica which has not been sort d into sizes, the description and the quantity issued;

(b) the purpose for which it is issued; and

(c) in the case of sale or export, the name of the purchaser or of the agent to whom it is sold or exported, as the case may be; and

(iii) the quantity and the size or, in the case of mica which has not been sorted into sizes, the description and the quantity, of the balance remaining in stock at intervals not exceeding seven days.

(2) If the State Government is satisfied that the particulars specified in sub-section (1) are insufficient, it may, by notification, direct that the accounts required to be kept under sub-section (1) shall show such additional particulars as may be specified in such notification, and thereupon every licensee, prospecting licensee and mining lessee shall keep accounts showing such additional particulars in addition to the particulars specified in sub-section (1).

8. *Production of accounts by licensees, holders of prospecting licensees and mining lessees*:—Every licensee, prospecting licensee and mining lessee shall, when so required by any officer authorised in this behalf by the State Government:—

(a) produce his accounts and disclose or produce the full amount of his stock of mica for the inspection of such officer;

(b) give such officer every facility for inspecting any mica mine or mica dump of which he is in possession.

9. *Notifying places used for storing mica:*—Every licensee, prospecting licensee and mining lessee shall notify to the prescribed authority and in the prescribed manner all places used by him whether for storing mica or for preparing the same for sale, and shall give to such authority every facility for inspecting such places

CHAPTER IV

Import, Export and Transport of Mica

10. *Restriction on import and export of mica:*—Every person who imports into or exports out of the State mica in any quantity shall give a notice in writing of his intention to do so, so as to reach the Controller not less than seven days before the date of import or export.

Explanation.—In this section 'import' means bringing into the State of Rajasthan by any means whatsoever and 'export' means taking out of the State of Rajasthan by any means whatsoever.

11. *Transport of mica:*—(1) No person shall remove mica from any mica mine, mica dump or other place in the occupation of a licensee, prospecting licensee or mining lessee, unless he carries a pass in the prescribed form specifying the date and time of its issue signed by such licensee, prospecting licensee or mining lessee or his duly authorised agent, showing—

(a) the place from which the mica has been removed;

(b) the quantity and the size, or, in the case of mica which has not been sorted into sizes, the description and the quantity, of such mica; and

(c) the destination of such mica and the route by which it will be transported:

Provided that any person who is ordinarily engaged in the business of splitting mica may, with the approval in writing of an officer authorised in this behalf by the Controller, without a pass:—

(i) remove block mica or chillas of a size not exceeding the size mentioned in section 3 from any place in the occupation of a licensee, a prospecting licensee or a mining lessee other than a mica mine or mica dump; and

(ii) return to such licensee, prospecting licensee or mining lessee splittings made from such block mica or chillas.

(2) Any person who removes mica from a mica mine, mica dump or other place in the occupation of a licensee, prospecting licensee or

mining lessee and who is required by sub-section (1) to carry a pass shall, on being required to do so by any officer authorised in this behalf by the State Government, produce such pass to such officer.

CHAPTER V

Offences and Penalties

12. *Penalties.*—(1) Save as provided in sub-section (2) and sub-section (3) of section 4, any person who commits a breach of any of the provisions of sub-section (1) of section 4 shall on conviction by a magistrate of the first class be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(2) Any licensee, prospecting licensee or mining lessee who fails to comply with any of the provisions of sections 7 and 8 or fails to submit any prescribed return or submits a prescribed return which is false in any material particular, shall on conviction by a magistrate of the first class be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(3) Any licensee who fails to produce his license within a reasonable time after being so required by the prescribed authority shall on conviction by a magistrate of the first class be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(4) Any licensee, prospecting licensee or mining lessee who:—

(a) fails to notify to the prescribed authority and in the prescribed manner the place or places used by him whether for storing mica or preparing for its sale; or

(b) stores mica at any place other than a place notified in accordance with section 9;

shall on conviction by a magistrate of the first class be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

13. *Penalty for un-authorised import, export or removal of mica.*—Any person who fails to give notice of import or export of mica under section 10 or removes mica in contravention of section 11 shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees.

14. *Forfeiture.*—Whenever any person is convicted of an offence under this Act, the mica in respect of which the offence was committed shall be forfeited to the State, unless the court otherwise directs.

CHAPTER VI

Powers of Officers

15. *Arrest without warrant.*—Any Police Officer may arrest without warrant any person found committing an offence punishable under sub-section (1) of section 12 read with clause (c) of sub-section (1) of section 4 or under section 13.

16. *Seizure and detention of mica removed without pass.*—(1) Any officer authorised in this behalf by the State Government may seize any mica which is removed from any place mentioned in sub-section (1) of section 11 by a person who does not carry a pass as required by that sub-section or who does not produce such pass when required to do so, and may detain such mica at the nearest police station until the ownership thereof is established to the satisfaction of any magistrate authorised in this behalf by the Controller.

(2) If the ownership of such mica is disputed or if the ownership thereof is not established to the satisfaction of the magistrate, he shall refer the matter to the Controller. If any claim made to the ownership of such mica is rejected by the Controller, or if no claim is made within one month from the date of detention, the mica shall be forfeited to the State Government:

Provided that when any such claim is rejected, the claimant, may, within three months from the order rejecting the claim, apply to the civil court to set aside such order and the court, if satisfied that such claimant is the owner of the mica, shall make an order for the delivery thereof to him.

17. *Powers of search and seizure.*—(1) Whenever any officer authorised in this behalf by the State Government has reason to believe that an offence punishable under sub-section (1) of section 12 read with clause (a), (b) or (c) of sub-section (1) of section 4 or under-clause (b) of sub-section (4) of section 12 has been or is being committed in respect of any mica and that such mica is to be found in any building or place and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of concealing or removing mica, he may, after recording the grounds of his belief at any time by day, enter and search such building or place and seize any mica found therein in respect of which he has reason to believe that any offence referred to in this sub-section has been or is being committed:

Provided that no police officer whose rank is lower than that of an Inspector of Police shall be authorised to exercise the power conferred by this section.

(2) Every officer seizing any mica under sub-section (1) shall—

(a) prepare a list of the mica so seized and deliver a copy thereof signed by him to the person found in possession of such mica;

(b) enclose the mica seized in a package and place on such package a mark indicating that the mica therein contained has been seized; and

(c) as soon as may be after such seizure, make a report thereof to the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which such seizure has been made.

(2) Upon receipt of any such report, the magistrate shall with all convenient despatch take such measures as may be necessary for the arrest and trial of the offender and the disposal of the property according to law.

18. *Compounding of offences.*—Subject to such restrictions and conditions, if any, as may be prescribed, the Controller or any other officer authorised by the State Government in this behalf may compound any offence under this Act on such terms, including terms regarding the payment of compensation money to the State, as may appear to be proper and thereupon no prosecution shall be instituted or continued for that offence against the person in respect of whom the offence is compounded.

CHAPTER VII

Miscellaneous

19. *Cancellation of license.*—(1) The State Government may, after giving the licensee a reasonable opportunity of being heard, cancel the license of any licensee who—

(a) is convicted of an offence in respect of mica under this Act or under Chapter XVII of the Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860) or under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1948 (Central Act LIII of 1948); or

(b) is guilty of repeated failure to comply with any of the provisions of this Act:

Provided that the license shall not be cancelled solely by reason f a conviction from which the licensee has no right of appeal.

(2) A fresh license shall not, without the previous sanction of he State Government, be granted to any licensee whose license has een cancelled under this section.

20. *Delegation of powers and duties of the Controller.*—The ontroller may, with the previous approval of the State Government elegate any of the powers or duties conferred or imposed on him by his Act to any Gazetted Officer.

21. *Rules.*—(1) The State Government may, after previous ublication, by notification in the Official Gazette, make rules to arry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the oregoing power, the State Government may make rules—

(a) prescribing the returns to be submitted by any licensee, prospecting licensee or mining lessee;

(b) providing for any matter which is to be, or may be prescribed under any provision of this Act;

(c) prescribing a penalty of fine not exceeding one hundred rupees for the breach of any rule.

22. *Repeal.*—All laws corresponding to this Act in force in any f the former Indian States now forming part of the State of Rajasthan or in any other part of the State of Rajasthan are hereby epealed.

PRABHU DAYAL LOIWAL,
Secretary to the Government.

राजस्थान अभ्रक अधिनियम, १९५८

(अधिनियम संख्या २५, सन् १९५८)

विषय सूची

धारा | पृष्ठ

अध्याय १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ १३

२. व्याख्या १३

३. मुक्तियाँ १५

अध्याय २

अभ्रक को कब्जे में रखने, खरीदने तथा बेचने पर प्रतिबन्ध

४. अनुज्ञा-पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र या खनि पट्टे के बिना अभ्रक कब्जे में रखने तथा उसके व्यापार का निषेध १५

५. अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना १६

६. अनुज्ञा-पत्रधारी आदि की शक्तियों का एजेन्टों द्वारा प्रयोग १७

अध्याय ३

अनुज्ञा-पत्रधारियों, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारियों तथा खनि पट्टाधारियों के कर्त्तव्य

७. विवरण रखना और ब्योरे प्रस्तुत करना १७

८. अनुज्ञा-पत्रधारियों, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारियों तथा खनि पट्टाधारियों द्वारा लेखे प्रस्तुत किया जाना १९

९. अभ्रक संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों से सूचित करना १९

अध्याय ४

अभ्रक का आयात, निर्यात तथा परिवहन

१०. अभ्रक के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध १९

११. अभ्रक का परिवहन २०

अध्याय ५

अपराध और शास्तियां

१२. शास्तियां २०

१३. अभ्रक का अनधिकृत रूप में आयात-निर्यात करने या हटाने पर शास्ति २१

१४. जब्ती २१

अध्याय ६

अधिकारियों की शक्तियां

१५. बिना वारंट गिरफ्तारी २१

१६. पार-पत्र के बिना हटाये गये अभ्रक का अभिग्रहण (seizure) तथा निरोध २२

१७. तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्तियां २२

१८. अपराधों में राजीनामा करना २३

अध्याय ७

विविध

१९. अनुज्ञा-पत्र रद्द करना २३

२०. नियंत्रक की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का सौंपा जाना २४

२१. नियम २४

२२. निरसन २४

विधि एवं न्याय (ए) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून ४, १९५८

संख्या एफ. ४ (५) एल. जे./ए./५८:—राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, १९५६ (संख्या ४७, सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान माइका एक्ट, १९५८ (एक्ट सं० २५, सन् १९५८) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान अभ्रक अधिनियम, १९५८
(अधिनियम सं० २५, सन् १९५८)

[राज्यपाल की स्वीकृति दिनांक १९ मई, १९५८ को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में, अभ्रक को कब्जे में रखने तथा उसके परिवहन और व्यापार का नियमन करने हेतु अधिनियम।

चूंकि राजस्थान राज्य में, अभ्रक को कब्जे में रखने तथा उसके परिवहन और व्यापार का नियमन करना सार्वजनिक हित में इष्टकर है;

अतः राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के नवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय १

प्रारंभिक

१. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ:**—(१) यह अधिनियम राजस्थान अभ्रक अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(३) यह उस तारीख को जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में नियत करे, प्रभावशील होगा।

२. **व्याख्या:**—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अभ्रक खंड" (Block Mica) से तात्पर्य छीलन, टुकड़े तथा व्यर्थ अभ्रक के अतिरिक्त, कतरने की किसी कार्यवाही द्वारा अपरिष्कृत (Crude) अभ्रक से उपलब्ध किसी अभ्रक से है;

(151)

(ख) "छीलन" से तात्पर्य अपरिष्कृत अभ्रक या अभ्रक खंड से प्राप्त अभ्रक की ऐसी पतली परतों और छोटे टुकड़ों से है जो .००८ इन्च से अधिक मोटाई के न हों;

(ग) "नियंत्रक" से तात्पर्य ऐसे किसी अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अभ्रक नियंत्रक नियुक्त किया जाय;

(घ) "अपरिष्कृत (Crude) अभ्रक" से तात्पर्य कटाई या किसी अन्य प्रक्रिया का प्रयोग करने से पूर्व कच्ची (खुर्दरी) हालत के अभ्रक से है;

(ङ) "व्यापारी का अनुज्ञा-पत्र" से तात्पर्य धारा ५ के अधीन मंजूर किये गये किसी अनुज्ञा-पत्र से है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसको वह मंजूर किया गया है, ऐसे अभ्रक को खरीदने और उसको अपने अधिकार में रखने तथा बेचने के लिये प्राधिकृत किया गया है जो—

[१] राजस्थान राज्य में, ऐसी किसी अभ्रक खान से, जो उसके कब्जे में नहीं है या क्षेप्य (Waste) अभ्रक के ढेर से निकाला जाय; या

[२] राजस्थान राज्य में, किसी भी ऐसे स्थान से जो राजस्थान राज्य में स्थित न हो, आयात किया जाय;

(च) "घरेलू कटाई करने वाला" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो अभ्रक खंड या छीलन के टुकड़े करने के लिये किसी कटाई के ठेकेदार या अनुज्ञा-पत्रधारी द्वारा नौकर रखा गया है;

(छ) "अनुज्ञा-पत्रधारी" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसको व्यापारी का कोई अनुज्ञा-पत्र मंजूर किया गया है;

(ज) "निर्मित अभ्रक" से तात्पर्य अपरिष्कृत अभ्रक, अभ्रक खंड, छीलन या छोटे टुकड़ों के अलावा किन्हीं भी अन्य रूप (आकार) के अभ्रक से है;

(झ) "अभ्रक" में अपरिष्कृत अभ्रक शामिल नहीं है;

(ञ) "क्षेप्य अभ्रक के ढेर" (Mica Dump) से तात्पर्य कूड़े के ऐसे ढेर से है जिसमें संपूर्ण रूप से या अधिकांश मात्रा में अभ्रक हो;

(ट) "अभ्रक की खान" से तात्पर्य खुदाई करने के ऐसे किसी स्थान से है जहां अभ्रक की खोज या प्राप्ति के प्रयोजनार्थ कोई कार्रवाई की गई है या की जा रही है;

(ठ) "खनि पट्टा" से तात्पर्य, अभ्रक को शामिल करते हुए, मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ द्वारा यथा परिभाषित राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त खनि पट्टे से है और "खनि पट्टाधारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे खनि पट्टा दिया गया है;

(ड) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ढ) "पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र" से तात्पर्य अभ्रक को शामिल करते हुए, मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ द्वारा यथा परिभाषित राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से है, और "पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी" से तात्पर्य पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(ण) "छोटे टुकड़े" (Splittings) से तात्पर्य अभ्रक की ऐसी पतली परतों से है जिनकी मोटाई .००१२५ इन्च से अधिक न हो; और

(त) "कटाई के ठेकेदार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अनुज्ञा-पत्रधारी से, घरेलू कटाई करने वालों की मार्फत छोटे टुकड़े तैयार कराने के लिये अभ्रक खंड या छीलन प्राप्त करता है।

३. मुक्तियां:—इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे किन्हीं भी छोटे टुकड़ों, छीलन या अभ्रक खंड को कब्जे में रखने पर लागू नहीं होगी यदि ठोस (Sound) अभ्रक जो उन से उपलब्ध हो सके, का आयताकार क्षेत्रफल तीन वर्ग-इन्च से कम का हो।

अध्याय २

अभ्रक को कब्जे में रखने, खरीदने तथा बेचने पर प्रतिबन्ध

४. अनुज्ञा-पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र या खनि पट्टे के बिना अभ्रक कब्जे में रखने तथा उसके व्यापार का निषेध:—(१) सिवाय उस रूप में जैसा इस धारा की उप-धारा (२) और (३) में प्रावहित किया गया है, कोई भी व्यक्ति—

(क) अभ्रक की ऐसी खान से, जो उसके कब्जे में है, निकाले गये अभ्रक को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या बेचेगा, चाहे वह (खान) ऐसी भूमि में, जिसका वह मालिक है, स्थित है या नहीं, सिवाय ऐसे अभ्रक के जो उसके द्वारा धारित किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र या खनि पट्टे के अधीन निकाला गया है;

(ख) क्षेप्य अभ्रक के ऐसे ढेर से जिस पर उसका कब्जा है, निकाले गये अभ्रक को सिवाय व्यापारी के अनुज्ञा-पत्र के अधीन या सिवाय ऐसे अभ्रक के जो उसके द्वारा धारित किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र या खनि पट्टे के अधीन निकाला गया हो, अपने कब्जे में नहीं रखेगा या बेचेगा;

(ग) राजस्थान राज्य में, किसी अभ्रक की खान या अभ्रक के ढेर से, जिस पर उसका कब्जा नहीं है, निकाला गया या ऐसे किसी स्थान से, जो इस राज्य में स्थित नहीं है, राजस्थान राज्य में आयात किया गया अभ्रक, सिवाय व्यापारी के अनुज्ञा-पत्र के अधीन और उसके अनुसार नहीं खरीदेगा या कब्जे में रखेगा या बेचेगा;

(153)

(घ) अपरिष्कृत (Crude) अभ्रक को ऐसी खान जहां से कि अपरिष्कृत अभ्रक निकाला गया है, के अतिरिक्त स्थान से नहीं खरीदेगा या बेचेगा;

(ङ) अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी होने के नाते राजस्थान राज्य में रहने वाले या व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति को जब तक ऐसे व्यक्ति के पास कोई वैध व्यापारी का अनुज्ञा-पत्र न हो, अभ्रक नहीं बेचेगा;

(च) अनुज्ञा-पत्रधारी होने के नाते राजस्थान राज्य में रहने वाले या व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति से, जब तक कि ऐसा व्यक्ति कोई अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी न हो, अभ्रक नहीं खरीदेगा;

(२) उप-धारा (१) की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी—

(क) निर्मित अभ्रक को कब्जे में रखने, बेचने या खरीदने पर,

(ख) किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी द्वारा अभ्रक के विक्रय या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो राजस्थान राज्य का निवासी नहीं हो या वहां पर व्यापार नहीं करता हो, किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी से अभ्रक की खरीद पर, और

(ग) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विज्ञप्ति के जरिये निर्दिष्ट की जायं, अभ्रक को कब्जे में रखने, उसके विक्रय या खरीद पर

(३) कोई भी अनुज्ञा-पत्रधारी जिसका अनुज्ञा-पत्र धारा ५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत प्रभावशील नहीं रहा है, या इस अधिनियम के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया है, जैसी भी दशा हो, ऐसी तारीख तक, जो उस तारीख से, जिससे कि उसका अनुज्ञा-पत्र प्रभावहीन हो गया था या रद्द कर दिया गया था, जैसी भी दशा हो, छः महीने उपरान्त की न हो, किसी अभ्रक को, जो, उस तारीख को जिससे उसका अनुज्ञा-पत्र प्रभावहीन हुआ था या रद्द कर दिया गया था, उसके कब्जे में था, बेचने या अन्य प्रकार से उसका व्यवस्थापन कर देने का अधिकारी होगा।

५. अनुज्ञा-पत्र प्रदान करनाः—(१) नियंत्रक किसी व्यक्ति का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा उस व्यक्ति द्वारा दो सौ पचास रुपये के शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे व्यक्ति को एक व्यापारी का अनुज्ञा-पत्र प्रदान करेगा :

परन्तु नियंत्रक ऐसा अनुज्ञा-पत्र ऐसे किसी व्यक्ति को देने से इन्कार कर सकता है, जो अभ्रक के संबंध में किसी भी अपराध का. इस अधिनियम के अधीन या इण्डियन पेनल कोड (केन्द्रीय एक्ट ४५, सन् १८६०) के अध्याय १७ के अधीन या माइन्स एन्ड मिनरल्स (रेग्यूलेशन एन्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, १६४८ (केन्द्रीय एक्ट ५३, सन् १६४८) या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन दोषी ठहराया गया है।

(२) कोई भी व्यक्ति जिसे नियंत्रक द्वारा उप-धारा (१) के परन्तुक (Proviso) के अधीन अनुज्ञा-पत्र देने से इन्कार कर दिया गया है, वह कन्ट्रोलर की आज्ञा से तीस दिन के अन्दर, रेवेन्यू बोर्ड या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो निर्धारित किया जाय, अपील कर सकता है।

(३) उप-धारा (१) के अधीन प्रदान किये गये प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के संबंध में नियंत्रक को एक सौ पचास रुपया वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जायगा। ऐसे वार्षिक शुल्क का भुगतान उस तारीख से जिसको अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया गया है, बाद मे आने वाले जनवरी के महीने की दूसरी तारीख को और तदन्तर प्रत्येक आगामी वर्ष के जनवरी महीने की दूसरी तारीख को किया जायगा।

(४) यदि उप-धारा (३) के अधीन, किसी अनुज्ञा-पत्र के संबंध में देय शुल्क का, उक्त उप-धारा द्वारा अदा किये जाने हेतु अपेक्षित तारीख से ६० दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया जाय तो ऐसा अनुज्ञा-पत्र प्रभावशील नहीं रहेगा।

(५) यदि किसी भी समय उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रदान किया गया कोई अनुज्ञा-पत्र अनुज्ञा-पत्रधारी के पास से खो जाय या नष्ट हो जाय तो अनुज्ञा-पत्रधारी तुरन्त ही इस तथ्य की रिपोर्ट लिखित में नियंत्रक को देगा और उन परिस्थितियों का, जिनमें कि अनुज्ञा-पत्र खो गया या नष्ट हो गया है, स्पष्टीकरण करेगा। इस प्रकार की सूचना मिलने पर नियंत्रक ऐसी जांच करेगा जो वह उचित समझे, और यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि अनुज्ञा-पत्र खो गया या नष्ट हो गया है तो वह अनुज्ञा-पत्रधारी द्वारा पांच रुपये शुल्क के अदा करने पर उक्त अनुज्ञा-पत्र की दूसरी प्रति प्रदान कर सकता है, ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर शब्द "दूसरी प्रति" की छाप लगायी जायगी।

६. अनुज्ञा-पत्रधारी आदि की शक्तियों का एजेन्टों द्वारा प्रयोग:—नियंत्रक किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी के आवेदन करने पर उसके अनुज्ञा-पत्र पर ऐसे व्यक्तियों के नाम पृष्ठांकित करेगा या उनके नामों को अन्यथा प्रमाणित करेगा जिन्हें ऐसे अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी की ओर से, इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का, प्रयोग करने का हक होगा, और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार पृष्ठांकित या अन्यथा प्रमाणित नहीं किया है, किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी की ओर से उक्त शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय ३

अनुज्ञा-पत्रधारियों, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारियों तथा खनि पट्टाधारियों के कर्त्तव्य

७. विवरण रखना और ब्योरे प्रस्तुत करना:—(१) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी तथा खनि पट्टाधारी ऐसे ब्योरे ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति

से जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करेगा और निम्नांकित बातों को दर्शाते हुए विवरण रखेगा —

(क) अपरिष्कृत (Crude) अभ्रक के संबंध में निम्नलिखित विवरण अर्थात्:—

[१] प्राप्त मात्रा, प्राप्ति की तारीख तथा स्रोत जहां से प्राप्त हुई;

[२] काटने वालों को दी गई मात्रा या बेची गई अभ्रक की मात्रा तथा इस प्रकार दी जाने या बेची जाने की तारीख और उस व्यक्ति का का नाम, यदि कोई हो, जिसको कि वह बेची गई हो ।

[३] काटने वालों से प्राप्त हुई अभ्रक खंड (Block Mica) की मात्रा तथा उसके प्राप्त होने की तारीख;

[४] काटने वालों से प्राप्त हुई छीलन की मात्रा तथा उसके प्राप्त होने की तारीख; और

[५] ऐसे समयान्तरों में जो सात दिन से अधिक के न हों, स्टॉक में शेष रही मात्रा;

(ख) अपरिष्कृत (Crude) या निर्मित (Manufactured) अभ्रक के अलावा अन्य अभ्रक के संबंध में निम्नलिखित विवरण, अर्थात्:—

[१] स्टॉक में हुई समस्त वृद्धियां, उनकी मात्रा तथा परिमाण (साईज) बतलाते हुए, या ऐसे अभ्रक के मामले में, जिसको परिमाणों के अनुसार छांटा नहीं गया है, प्राप्त हुए अभ्रक का विवरण और मात्रा, खरीद करने की सूरत में, उस व्यक्ति का नाम जिससे कि वह खरीदा गया है;

[२] स्टॉक में से निकाला गया संपूर्ण अभ्रक, निम्नलिखित बातें बतलाते हुए—

(क) मात्रा और परिमाण, या ऐसे अभ्रक के मामले में जिसको परिमाणों के अनुसार छांटा नहीं गया है, विवरण तथा निकाली गई मात्रा,

(ख) प्रयोजन जिसके लिए कि वह निकाला गया है, और

(ग) बेचने या निर्यात करने की दशा में खरीदार या एजेन्ट का नाम जिसको वह बेचा या निर्यात किया गया है, जैसी भी दशा हो, और

[३] मात्रा तथा परिमाण या ऐसे अभ्रक के मामले में जिसको परिमाणों के अनुसार छांटा नहीं गया है, ऐसे समयान्तरों में, जो सात दिन से अधिक के न हों, स्टॉक में शेष रही अभ्रक का विवरण और मात्रा।

(२) यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाय कि उप-धारा (१) में निर्दिष्ट ...ण अपर्याप्त है तो वह, विज्ञप्ति द्वारा, यह निदेश कर सकती है कि उप-धारा (१) के ...न रखे जाने वाले विवरण में ऐसे अतिरिक्त विवरण भी जिनका उक्त विज्ञप्ति में निदेश ...ा जाय, दिखाये जावेंगे और तदुपरान्त प्रत्येक अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी ...खनि पट्टाधारी उप-धारा (१) में निर्दिष्ट विवरणों के अलावा ऐसे अतिरिक्त विवरण ...लाते हुए विवरण रखेगा।

८. अनुज्ञा-पत्रधारियों, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारियों तथा खनि पट्टाधारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना:—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी तथा खनि ...धारी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा ...जाने पर—

(क) ऐसे अधिकारी के निरीक्षणार्थ अपने लेखे प्रस्तुत करेगा और अपने अभ्रक के स्टॉक की पूरी मात्रा को प्रकट या प्रस्तुत करेगा;

(ख) ऐसे अधिकारी को अभ्रक की किसी भी खान या ढेर का, जो उसके कब्जे में है, निरीक्षण करने में हर तरह की सुविधा देगा।

९. अभ्रक संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले स्थानों से सूचित करना:—...क अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी तथा खनि पट्टाधारी निर्धारित प्राधिकारी ... निर्धारित रीति से उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त स्थानों की सूचना देगा ... वे अभ्रक संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हों, या उसको बेचने के लिए तैयार ...ने हेतु प्रयुक्त किये जाते हों और ऐसे प्राधिकारी को ऐसे स्थानों का निरीक्षण करने ...हर तरह की सुविधा देगा।

अध्याय ४

अभ्रक का आयात, निर्यात तथा परिवहन

१०. अभ्रक के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध;—प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मात्रा में अभ्रक का राज्य में आयात या (राज्य से) निर्यात करता है, अपने ऐसा ...ने के इरादे को लिखित में सूचना देगा ताकि वह नियंत्रक के पास आयात या निर्यात ...तारीख से सात दिन पूर्व पहुँच जाय।

...ष्टीकरण:—इस धारा में "आयात" से तात्पर्य किसी भी जरिये से राजस्थान राज्य के अन्दर लाने तथा "निर्यात" से तात्पर्य किसी भी जरिये से राजस्थान राज्य से बाहर ले जाने से है।

...नक खान या
...ुज्ञा-पत्रधारी
ऐसे अनुज्ञा-
...धि प्राधिकृत
जिसमें उसके
और जिसमें

...णों में नहीं

वह ले जाया

...म करता है,
...ोदन करने

...ज्ञा-पत्रधारी,
...त किसी भी
...त परिमाण

...ज्ञा-पत्रधारी,

...ुज्ञा-पत्रधारी
ढेर या अन्य
...ी अपेक्षा की
...ो द्वारा ऐसा
...त करेगा।

...रा (३) में
...रा (१) के
द्वारा दोषी
सकता है।

(157)

११. अभ्रक का परिवहन—(१) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी अभ्रक खान या क्षेप्य अभ्रक के ढेर या अन्य स्थान से जो किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी के कब्जे में हो, नहीं हटायेगा जब तक कि उसके पास ऐसे अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी या उसके द्वारा यथाविधि प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्तान्तरित निर्धारित प्रपत्र में ऐसा पारपत्र (Pass) न हो जिसमें उसके (पारपत्र के) जारी किये जाने की तारीख और समय निर्दिष्ट किया गया हो और जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख हो:—

(क) वह स्थान जहाँ से अभ्रक हटाया गया हो;

(ख) मात्रा तथा परिमाण, या उस अभ्रक के मामले में जिसको परिमाणों में नहीं छांटा गया है; उस अभ्रक का विवरण तथा मात्रा; और

(ग) ऐसे अभ्रक के ले जाने का लक्ष्य, स्थान और रास्ता जिसके द्वारा वह ले जाया जायगा:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः अभ्रक को काटने का काम करता है, नियंत्रक द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमोदन करने पर किसी पारपत्र के बिना—

[१] किसी अभ्रक खान या क्षेप्य अभ्रक के ढेर के अलावा, किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी के अधिकार में स्थित किसी भी स्थान से ऐसे अभ्रक खंड या छीलन को जो धारा ३ में उल्लिखित परिमाण से अधिक परिमाण के न हों, हटा सकता है; और

[२] ऐसे अभ्रक खंड या छीलन से बनाये गये छोटे टुकड़ों को ऐसे अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी को लौटा सकता है।

(२) कोई भी व्यक्ति जो किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी के अधिकार में स्थित किसी अभ्रक खान, क्षेप्य अभ्रक के ढेर या अन्य स्थान से अभ्रक को हटाता है तथा जिसने उप-धारा (१) में पार-पत्र रखने की अपेक्षा की गई है, वह, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, ऐसे पार-पत्र को ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

अध्याय ५

अपराध और शास्तियाँ

१२. शास्तियाँ:—(१) धारा ४ की उप-धारा (२) तथा उप-धारा (३) में जैसा प्रावहित है उसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो धारा ४ की उप-धारा (१) के प्रावधानों का कोई उल्लंघन करता है, वह प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाने पर, ऐसे अर्थ दंड से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।

(२) कोई भी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी जो धारा ७ तथा ८ के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है या कोई निर्धारित ब्योरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है या ऐसा निर्धारित ब्योरा प्रस्तुत करता है जो किसी सारवत् अंश के सम्बन्ध मिथ्या है, वह प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाने पर, ऐसे अर्थ दंड से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।

(३) कोई भी अनुज्ञा-पत्रधारी जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा एतदर्थ अपेक्षा की जाने के पश्चात् अपने अनुज्ञा-पत्र को उचित समय के अन्दर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाने पर, ऐसे अर्थ दंड से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है।

(४) कोई भी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी जो–

(क) निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित रीति से ऐसे स्थान या स्थानों की, जिनका वह अभ्रक संग्रह करने या उसका बेचने के लिये तैयार करने में प्रयोग करता है, सूचना देने में विफल रहता है; या

(ख) धारा ९ के अनुसार सूचित स्थान के अलावा अभ्रक का किसी अन्य स्थान पर संग्रह करता है।

वह किसी प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाने पर ऐसे दंड से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।

१३. अभ्रक का अनधिकृत रूप में आयात-निर्यात करने या हटाने पर शास्ति:—कोई भी व्यक्ति जो धारा १० के अधीन अभ्रक का आयात या निर्यात करने की सूचना नहीं देता है या धारा ११ के उल्लंघन में अभ्रक को हटाता है, वह ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है या ऐसे अर्थ दंड से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा।

१४. जब्ती (Forfeiture):—जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया जाय, तो ऐसी अभ्रक, जिसके संबंध में अपराध किया गया था, जब तक न्यायालय अन्यथा निदेश न दे राज्य के पक्ष में जब्त हो जायगी।

अध्याय ६

अधिकारियों की शक्तियां

१५. बिना वारंट गिरफ्तारी:—कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धारा ४ की उप-धारा (१) के खंड (ग) के साथ पढ़ते हुए धारा १२ की उप-धारा १ के अधीन या धारा १३ के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता हुआ पाया जाय, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है।

१६. पारपत्र के बिना हटाये गये अभ्रक का अभिग्रहण (Seizure) तथा निरोध :—(१) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, ऐसे किसी भी अभ्रक को, जो धारा ११ की उप-धारा (१) में वर्णित किसी भी स्थान से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हटाया गया है, जिसके पास उक्त उप-धारा द्वारा अपेक्षित कोई पारपत्र नहीं है या जो ऐसे पारपत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाने पर प्रस्तुत नहीं करता है, अभिग्रहण कर सकता है तथा ऐसे अभ्रक को निकटतम पुलिस थाने में उस समय तक निरोध में रखवा सकता है जब तक कि उसका स्वामित्व, ऐसे किसी मजिस्ट्रेट को, जो नियंत्रक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया जाय, संतुष्ट करते हुए सिद्ध नहीं कर दिया जाय।

(२) यदि ऐसे अभ्रक का स्वामित्व विवादग्रस्त हो या उसका स्वामित्व मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करते हुए सिद्ध नहीं किया गया हो तो वह ऐसे मामले को नियंत्रक के पास निर्णय के लिये भेजेगा। यदि नियंत्रक द्वारा, ऐसे अभ्रक के स्वामित्वके विषय में कोई दावा, अस्वीकार कर दिया जाय अथवा यदि उसको निरोध में रखे जाने की तारीख से एक महीने के अंदर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाय तो उक्त अभ्रक राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायगी :

परन्तु जब कोई ऐसा दावा अस्वीकार कर दिया जाय तो दावेदार दावा अस्वीकृत होने की आज्ञा से तीन महीने के अंदर ऐसी आज्ञा को रद्द करने के लिये, दीवानी न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उक्त न्यायालय, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाय कि ऐसा दावेदार उक्त अभ्रक का स्वामी है, उस अभ्रक को उसे सुपुर्द कर दिये जाने की आज्ञा दे देगा।

१७. तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्तियां: —(१) जब कभी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि किसी अभ्रक के संबंध में धारा ४ की उप-धारा (१) के खंड (क), (ख) या (ग) के साथ पढ़ते हुए धारा १२ की उप-धारा (१) के अधीन या धारा ४ के खंड (ख) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि ऐसी अभ्रक किसी इमारत या स्थान में पायी जावेगी तथा यह कि तलाशी लेने का वारंट अपराधी को ऐसे अभ्रक को छिपा देने या हटा लेने का अवसर दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह, अपने इस प्रकार विश्वास करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, दिन में किसी भी समय ऐसी इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकता है तथा उसमे पाये गये किसी अभ्रक को, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस उप-धारा में निर्दिष्ट कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, अभिग्रहण कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस इन्सपेक्टर से नीचे के दर्जे का है, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत नहीं होगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन अभ्रक को अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी:—

(क) इस प्रकार अभिग्रहीत अभ्रक की एक सूची तैयार करेगा और उसकी, अपने द्वारा हस्ताक्षरित, एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह पाया गया था, देगा;

(ख) अभिग्रहीत अभ्रक को एक पेकेज में बन्द करेगा और ऐसे पेकेज पर यह इंगित करने वाला एक चिन्ह बना देगा कि उसमें निहित अभ्रक अभिग्रहीत की हुई है; तथा

(ग) इस प्रकार अभीग्रहण करने के पश्चात् यथाशीघ्र उसकी एक रिपोर्ट ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसे उस अपराध पर जिसके कारण ऐसा अभीग्रहण किया गया है, वैधिक विचार कर सकने का क्षेत्राधिकार हो, प्रस्तुत करेगा।

(३) इस तरह की कोई रिपोर्ट मिलने पर मजिस्ट्रेट सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसी कार्यवाहियां करेगा, जो अपराधी को गिरफ्तार करने तथा उसके संबंध में वैधिक विचार करने और संपत्ति का विधि के अनुसार व्यवस्थापन करने के लिये आवश्यक हो।

१८. अपराधों में राजीनामा करना (Compounding of offences):- ऐसे प्रतिबन्ध तथा शर्तों, यदि कोई हों, निर्धारित की जांय, के अधीन रहते हुए, नियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी भी अपराध के संबंध में, राज्य को मुआवजे में रुपया देने संबंधी शर्तों के सहित ऐसी शर्तों पर, जो उचित जान पड़े राजीनामा कर सकता है और तदुपरान्त उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अपराध के लिये कोई अभियोग प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और न चालू रखा जावेगा।

अध्याय ७

विविध

१९. अनुज्ञा-पत्र रद्द रखना:— (१) राज्य सरकार, अनुज्ञा-पत्रधारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने पश्चात्, किसी भी ऐसे अनुज्ञा-पत्रधारी के अनुज्ञा-पत्र को रद्द कर सकती है, जो:—

(क) इस अधिनियम के अधीन अभ्रक के संबंध में या इंडियन पेनल कोड (केन्द्रीय एक्ट ४५, सन् १८६०) के अध्याय १७ के अधीन या माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, १९४८ (केन्द्रीय एक्ट ५३, सन् १९४८) के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है, अथवा

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान का पालन करने में निरन्तर विफल रहने का दोषी है :

परन्तु उक्त अनुज्ञा-पत्र को केवल ऐसा दोष सिद्ध हो जाने के कारण, ही, जिसके खिलाफ कि अनुज्ञा-पत्रधारी को अपील कर सकने का अधिकार नहीं है, रद्द किया जावेगा।

(२) ऐसे किसी अनुज्ञा-पत्रधारी को, जिसका अनुज्ञा-पत्र इस धारा के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया है, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई नवीन अनुज्ञा-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

२०. **नियंत्रक की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का सौंपा जाना:**—नियंत्रक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों या उस पर आरोपित कर्त्तव्यों में से किन्हीं को भी, किसी भी राजपत्रित अधिकारी को सौंप सकता है।

२१. नियमः—(१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् राज-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता को कोई हानि पहुँचाये बिना राज्य सरकार निम्नांकितों के लिये नियम बना सकती है:—

(क) किसी अनुज्ञा-पत्रधारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रधारी या खनि पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण निर्धारित करते हुए;

(ख) ऐसे किसी मामले के लिये प्रावहित करते हुए जिसका इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारण किया जाना हो या किया जाय;

(द) किसी नियम को भंग करने के लिये ऐसे अर्थ दंड की शास्ति जो एक सौ रुपये से अधिक की न हो, निर्धारित करते हुए।

२२. निरसनः—भूतपूर्व देशी राज्यों, जो अब राजस्थान राज्य के अंग हैं, में से किसी में भी या राजस्थान राज्य के किसी भी अन्य भाग में प्रवर्तनशील ऐसे समस्त कानूनों का, जो इस अधिनियम के समनुरूप है, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

प्रभुदयाल लोईवाल,
शासन सचिव।